रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 231] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 2, 1977/आषाढ़ 11, 1899
No. 231] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 2, 1977/ASADHA 11, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 2nd July 1977

G.S.R. 470(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule(1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts radios (including transistor sets) falling under sub-item (2) of Item No. 33A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), of a value not exceeding one hundred and sixty-five rupees per set, from the whole of the duty of excise leviable thereon

Provided that the sets are manufactured in an industrial unit in respect of which an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the sum total of the value of capital investment made from time to time on plant and machinery only is not more than rupees ten lakhs.

Explanation.—For the purposes of determining the value of any capital investment, only the face value of such investment at the time when such investment was made shall be taken into account.

[No. 208/77]

राजस्व और बैंकिंग विभाग

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1977

सा० का नि० 470 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूचि की मद स० 33क की उपमद (2) के अन्तर्गत सम्मिलित रेडियो (जिनके अन्तर्गत ट्रांसिस्टर सैट भी है) जिनका मूल्य एक सौ पैंसठ रुपए प्रति सैट से अधिक नहीं है, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है

परन्तु सैटों का विनिर्माण किसी ऐसे औद्योगिक एकक में किया जाता है जिसकी बाबत सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर से अन्यून रेंक के अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि केवल भवन और मशीनों पर समय-समय पूंजी विनिधान का कुल मूल्य दस लाख रुपए से अधिक नहीं है ।

स्पष्टीकरण.—किसी पूंजी विनिधान के मूल्य का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए ऐसे विनिधान का वह अंकित मूल्य गणना में लिया जाएगा जब ऐसा विनिधान किया गया था ।

[सं० 208/77]

G.S.R. 471(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules 1944, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Department of Revenue and Banking No. 150/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, namely —

In the said notification, in clause (a) of the proviso,—

(i) for the words "manufacture of steel ingots or semi-finished steel", the words "manufacture of steel ingots, semi-finished steel or steel castings" shall be substituted,

(ii) for the words "such ingots or semi-finished steel" the words "such ingots, semi-finished steel or steel castings" shall be substituted.

[No. 209/77]

R. K. CHANDRA, Under Secy.

सा० का० नि० 471 (अ) —केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के नियम उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना स० 150/77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में, परन्तुक के खण्ड (क) में,

(i) "इस्पात सिल्लियों (इनगाट) या अर्ध-परिष्कृत इस्पात के विनिर्माण में" शब्दों के लिए, "इस्पात सिल्लियों (इनगाट), अर्ध-परिष्कृत इस्पात या इस्पात के साचों के विनिर्माण में" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ,

(ii) "ऐसी सिल्लियों या अर्ध-परिरूपित इस्पात" शब्दों के लिए, "ऐसी सिल्लियों, अर्ध-परिरूपित इस्पात या इस्पात के साचों" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० 209/77]

आर० के० चन्द्र, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977